2024/205

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री धीरेन्द्र असारसा निवासी रोज व्यू आबूपर्वत जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी रजिस्ट्रार को-ओपरेटिव सोसायटी सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 3। वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.07.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी रजिस्ट्रार को–ओपरेटिव सोसायटी सिरोही को दिनांक 15.05.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि डॉ. अम्बेडकर सेवा समिति आबूपर्वत जिसका नम्बर 6/87–88 की प्रमाणित प्रति एवं इस समिति के सदस्यों की सूची की प्रमाणित प्रति एवं इस समिति के नियमों एवं कानूनों की प्रमाणित प्रति एवं इस समिति से सम्बन्धित सभी आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी रजिस्ट्रार को–ओपरेटिव सोसायटी सिरोही को दिनांक 15.05.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि डॉ. अम्बेडकर सेवा समिति आबूपर्वत जिसका नम्बर 6/87–88 की प्रमाणित प्रति एवं इस समिति के सदस्यों की सूची की प्रमाणित प्रति एवं इस समिति के नियमों एवं कानूनों की प्रमाणित प्रति एवं इस समिति से सम्बन्धित सभी आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी रजिस्ट्रार को–ओपरेटिव सोसायटी सिरोही के प्रथम अपील अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नही है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (शुभम चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner